कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, बेरीनाग (पिथौरागढ़)

उत्तराखण्ड शासन

फोन नं0 – 05964–244117 फैक्स नं0 –05964–244622 ई–मेल–eepwdberinag@rediffmail.com

पत्रांक 462/ 27सी दिनांक 24/05/24

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़।

विषय : जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा गंगोलीहाट में पव्वाधार नैनी जागेश्वर वाया सेरागड़ा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.94 है0 वनभूमि का गैर वानकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन
(प्रपोजल नं0 FP/UK/ROAD/37053/2018)

सन्दर्भः भारत सरकार का पत्रॉक 8वी/यू0सी0पी0/06/91/2020 /एफ0सी0 /1432 **दि0 09–02–2024**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में प्राप्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर निम्नवत प्रेषित है :–

क्र. सं0	भारत सरकार द्वारा चाही गई सूचना (प्रश्न)	अनुपालन आख्या (उत्तर)
1	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0 –4 के सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा की गई धनराशि रू0 4406315.76 है, जबकि परिवेश पोर्टल के पार्ट–2 के पैरा 13 में रू0 4005746.00 की क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना अपलोड की गई है। राज्य सरकार कृपया इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें साथ ही सही जानकारी/दस्तावेज प्रेषित /अपलोड करने का कष्ट करें।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0 –4 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा डिमाण्ड नोट के अनुसार देयक आ0डी0 W03801422902221000 date 09-02-2022 द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 3902580.00 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि रू0 4406315.76 कुल धनराशि रू0 8308896.00 वन विभाग के पक्ष में जमा किये गये है। हार्डकापी पॉच–पॉच प्रतियों में प्रेषित की जा रही है। धनराशि रू0 4406315.76 की संशोधित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्कीम परिवेश पोर्टल के पार्ट –2, के पैरा 13 में अपलोड कर दी गई है। हार्डकापी पॉच–पॉच प्रतियों में प्रेषित की जा रही है।
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रदान की गई सिविल सोयम भूमि को संरक्षित वन में घोषित अधिसूचना की प्रति प्रदान करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रदान की गई सिविल सोयम भूमि को संरक्षित वन में घोषित अधिसूचना की प्रति यथा स्थान अपलोड कर दी गई है। हार्डकापी पॉच–पॉच प्रतियों में प्रेषित की जा रही है।

अतः अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

24/5/24

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 बेरीनाग

24/5/24

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & ☎ 05964- 225234

पत्रॉकः 7821 /12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 27, मई, 2024।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :– जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा गंगोलीहाट में पव्याधार नैनी जागेश्वर वाया सेरागढ़ा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.94 है0 वनभूमि का गैर वानकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रपोजल नं0 FP/UK/ROAD/37053/2018).

सन्दर्भः– भारत सरकार का पत्रॉक 8वी/यू0सी0पी0/06/91/2020 /एफ0सी0 /1432 दि0 09–02–2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र के कम में चाही गयी आख्या निम्नवत प्रेषित है–

क्र. सं0	भारत सरकार द्वारा चाही गई सूचना (प्रश्न)	अनुपालन आख्या (उत्तर)
1	सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0 –4 के सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा की गई धनराशि रू0 4406315.76 है जबकि परिवेश पोर्टल के पार्ट–2 के पैरा 13 में रू0 4005746.00 की क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना अपलोड की गई है। राज्य सरकार कृपया इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें साथ ही सही जानकारी/दस्तावेज प्रेषित/अपलोड करने का कष्ट करें।	सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0 –4 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा डिमाण्ड नोट के अनुसार देयक आ0डी0 W03801422902221000 date 09-02-2022 द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 3902580.00 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि रू0 4406315.76 कुल धनराशि रू0 8308896.00 वन विभाग के पक्ष में जमा की गयी है है। अवगत कराना है कि पार्ट–2 के पैरा 13 में अपलोड की गयी क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना तत्समय (प्रस्ताव अपलोड किये जाने के वर्ष) की प्रचलित दरों के आधार पर तैयार की गयी थी जबकि प्रस्तावक विभाग द्वारा जमा की गयी धनराशि रु0 4406315.76 सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्ती के समय प्रचलित दरों के आधार पर आंकलित की गयी है। धनराशि रू0 4406315.76 मात्र की संशोधित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। सैद्धान्तिक स्वीकृति के पश्चात प्रभाग स्तर से पार्ट–2 Edit न हो पाने के कारण उक्त सी0ए0 स्कीम को पोर्टल में अपलोड किया जाना संभव नहीं है।
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रदान की गई सिविल सोयम भूमि को संरक्षित वन में घोपित अधिसूचना की प्रति प्रदान करें।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रदान की गई सिविल सोयम भूमि को संरक्षित वन में घोषित किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र की प्रति पूर्व में इस कार्यालय के पत्रांक 668/12–1 दिनांक 18.08.2022 द्वारा प्रेषित की गयी है। जिसकी प्रति पुनः संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नः– यथोक्त।

अतः प्रकरण में विधिवत स्वीकृति चाहने हेतु प्रकरण अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

पत्रांकः– 7821 /12–1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून।
2. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, डीडीहाट।

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

01C